FIROZABAD POLICE
" सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा "

सराहनीय कार्य थाना नारखी दिनांक 24-05-23 जनपद फिरोजाबाद।

थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से अपहरण व 10 लाख रूपये के लूट की घटना की फर्जी सूचना देने वाले दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।
पुलिस टीम द्वारा मामले में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अपहरण की बरामदगी हेतु 03 टीमों का गठन किया गया था।
साले द्वारा अपने जीजा के अपहरण एवं 10 लाख रूपये के लूट की झूठी सूचना देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों के षडयंत्र का किया पर्दाफाश।

दिनाँक 20.05.2023 को उक्त अभियोग के वादी सोनू बघेल पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी गौंछ थाना नारखी जनपद फिरोजावाद द्वारा अवगत कराया कि वादी के जीजा अमित कुमार पुत्र श्री छोटेलाल निवासी नगला ज्ञान सिंह थाना एत्मादपुर आगरा के रहने वाले हैं। उनके पास 10 लाख रूपये हैं आज सुवह करीब 9.00 वजे घर से अपनी गाडी एसेन्ट नं0 UP 78 BC 7555 से मेरे पास गौंछ आ रहे थे फिर समय करीब 9.24 बजे फोन पर वताया कि उनके पीछे एक गाडी लगी है। उस पर नम्वर प्लेट नहीं है। उनकी गाडी को ओवर टेक करके रूकवा लिया है। तथा नये वाईपास वैंदी पुल के नीचे वहद ग्राम दौलतपुर से अपहरण हो गया है।

उक्त के क्रम में श्री आशीष तिवारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फिरोजाबाद द्वारा घटना का अनावरण करने व घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन पाताल के तहत, श्री सर्वेश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक नगर जनपद फिरोजाबाद के कुशल निर्देशन व श्री अविनेश कुमार, क्षेत्राधिकारी टूण्डला के निकट पर्यवेक्षण में अलग अलग टीमें गठित की गयी।

उक्त आदेश के क्रम में थाना नारखी पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुये अपहरण की साजिश रचने वाले अपहृत **अमित कुमार पुत्र श्री छोटेलाल निवासी नगला ज्ञानसिंह थाना ऐत्मादपुर जनपद आगरा** व वादी मुकदमा **सोनू बघेल पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम गौंछ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद** से पूछताछ के क्रम में आपराधिक षडयंत्र कर अपहरण एवं रूपयों की झूठी सूचना इस आशय से देना कि लोक सेवक अपनी विधि पूर्ण शक्तियों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के लिये करे एवं आजीवन कारावास एवं कारावास से दण्डनीय अपराध के लिये झूठा साक्ष्य़ गढना एवं खुद किये गये अपराध के बारे में झूँठी सूचना देना व छल करके सम्पत्ति लेना एवं बेईमानी करने के अपराध में समय करीब 20.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समझ पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना नारखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/23 धारा 364 भादवि0 से सम्वन्धित प्रकाश में आये अपहृत अमित कुमार पुत्र श्री छोटेलाल निवासी नगला ज्ञानसिंह थाना ऐत्मादपुर जनपद आगरा से पूछताछ के क्रम में अपहृत अमित कुमार द्वारा वताया गया कि मैं वर्ष 2018 में मल्टीपल कम्पनी नोएडा में जौब करता था व वर्ष 2020 में मल्टीपल कम्पनी से जोब छोड दिया तथा अपने गांव नगला ज्ञानसिंह में आकर स्टोक मार्केट में पैसा लगाने का काम शुरू कर दिया जिसमें गांव गौंछ में सोनू सिंह पुत्र रूस्तम सिंह (1,50000/-रूपये) उसके बाद सोनू सिंह की माँ के 1,50000/-रूपये व जसबीर सिंह ने 50000/-रूपये व चचिया ससुर प्रेमसिंह से 4 लाख रूपये ले लिये मैं समय पर इन लोगो के पैसे वापस

नही कर सका ये सभी लोग अपने पैसे लेने के लिये मेरे ऊपर दवाव वनाने लगे इसी बात को लेकर मैंने अपने साले सोनू वघेल के साथ मिलकर अपने अपहरण व लूट का झूठा मुकदमा लिखाया।

बरामद शुदा अपहृतः-

1. अमित कुमार पुत्र श्री छोटेलाल निवासी नगला ज्ञानसिंह थाना ऐत्मादपुर जनपद आगरा

सह अभियुक्तः-

2. सोनू बघेल पुत्र प्रेमसिंह निवासी ग्राम गौंछ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद

अपहृत को बरामद करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
3. का0 455 अखिलेश कुमार
4. का0 1452 योगेन्द्र सिंह
5. का0 1023 बृजमोहन सिंह